संख्या–544/5–1–2014

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ, डा0 आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती, यू0एच0एम0 चिकित्सालय कानपुर, समस्त मानसिक चिकित्सालय उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, (महिला/पुरूष/संयुक्त),जिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–1   दिनांकः 12 अगस्त, 2014

विषय: एन0आई0सी0 द्वारा विकसित ड्रग इनवेन्ट्री एण्ड सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम साफ्टवेयर के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित सी0एम0एस0डी0 एवं उपार्जन वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड इन्वेंट्री कन्ट्रोल सिस्टम साफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त चिकित्सा इकाइयों में तथा महानिदेशालय स्तर पर किया जाना है। ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड इन्वेंट्री कन्ट्रोल सिस्टम साफ्टवेयर विभागीय वेबसाइट dghealth.up.nic.in पर उपलब्ध है। प्रदेश में ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड इन्वेंट्री कन्ट्रोल सिस्टम साफ्टवेयर के संचालन हेतु निम्नलिखित प्राविधान किये जाते हैं:–

- ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड इन्वेंट्री कन्ट्रोल सिस्टम साफ्टवेयर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प्रयोगार्थ बनाया गया है। अतः प्रदेश में इसका संचालन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्वामित्व में होगा।
- निदेशक भण्डारण, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, की ओर से साफ्टवेयर के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
- उक्त साफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा/कन्टेन्ट आदि की वैधता/सत्यता की जिम्मेदारी महानिदेशक, निदेशक (भण्डार) और दवा क्रय अधिकारियों की होगी।
- साफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी कठिनाईयों, आवश्यकतानुसार नये मोडयूल/रिपोर्टो का निर्माण एन0आई0सी0 द्वारा किया जायेगा। एन0आई0सी0 की ओर से तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 इसके नोडल अधिकारी होंगे।
- साफ्टवेयर के संचालन, निर्माण में जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सी0एम0एस0डी0, एन0आई0सी0 व शासन स्तर पर आवश्यक संसाधन यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा उलपब्ध कराये जायेंगे। यू0पी0एच0एस0एस0पी0 परियोजना की पूर्णता पर आगे की व्यवस्था महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा की जायेगी।
- उक्त साफ्टवेयर dghealth.up.nic.in वेब साइट पर उपलब्ध है। साफ्टवेयर के संचालन हेतु दवा क्रय से संबंधित समस्त अधिकारी/दवा सप्लायर तथा प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को वेब–साइट पर उपलब्ध यूजर रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर एन0आई0सी0 को भेजा जायेगा जिसके आधार पर एन0आई0सी0 द्वारा यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

- जिला स्तर पर ए0सी0एम0ओ0 भण्डार तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर मुख्य फार्मासिस्ट स्टोर नोडल अधिकारी होंगे। सभी नोडल अधिकारी यूजर रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर दिनांक 31.08.2014 तक अपने–अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एन0आई0सी0 से प्राप्त कर लें।
- यू0पी0एच0एस0एस0पी द्वारा उक्त साफ्टवेयर के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों एवं अन्य इकाईयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर आपरेटर एवं नेट सुविधा उपलब्ध करा दी जाय।
- यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, (जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय), समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय के ड्रग स्टोर हेतु कम्प्यूटर आपरेटर एक वर्ष के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।
- विभाग की वेबसाइट पर ड्रग क्रय नीति, एसैन्शियल ड्रग लिस्ट (ई0डी0एल0), कार्यरत 05 हेल्प लाइन नम्बर, साफ्टवेयर यूजर मैनुअल, विभागीय आर0सी0 लिस्ट तथा अन्य आर0सी0 लिस्ट आदि वेबसाइट पर सुलभ संदर्भ हेतु 31 अगस्त तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय–समय पर अपग्रेड की जायेगी।
- उक्त साफ्टवेयर की ट्रेनिंग हेतु संबंधित जिलों के चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने स्तर से एक कम्प्यूटर आपरेटर तथा नोडल अधिकारी का नाम ई–मेल के माध्यम से परियोजना तथा निदेशक सी0एम0एस0डी0 को दिनांक 31.08.2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- यू0पी0एच0एस0एस0पी द्वारा उक्त साफ्टवेयर की ट्रेनिंग मुख्यालय स्तर तथा आवश्यकतानुसार मण्डलीय/जिला स्तर पर कराये जाने हेतु एन0आई0सी0 एवं निदेशक, सीएम0एस0डी0 के समन्वय के साथ आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- जनपदीय चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से औषधि उपार्जन से संबंधित सभी क्रयादेश 01.10.2014 से जारी किये जायें तथा भुगतान की सूचना साफ्टवेयर में फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे भविष्य के लिये ड्रग के बजट को निर्धारित किया जा सके।
- शासन एवं मुख्यालय स्तर पर होने वाली सभी समीक्षा बैठको में साफ्टवेयर से सृजित आंकड़ो को ही मान्यता दी जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उक्त साफ्टवेयर में समयबद्ध तरीके से सही आंकड़ों की प्रविष्टि की जाए तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उसका वैधीकरण किया जाये।
- साफ्टवेयर संचालन से सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु एन0आई0सी0 के फोन नम्बर 0522–2298837 पर सम्पर्क किया जाये।
- ड्रग स्टोर रजिस्टर से सम्बन्धित चल रही वर्तमान व्यवस्था को प्रथम चरण के प्रारम्भ से तीन माह तक यथावत् रखा जायेगा। उक्त अवधि के उपरान्त सभी क्रयादेशो का प्रिंट आउट लेकर अलग पत्रावली/रजिस्टर पर रक्षित किया जाये।

उक्त आदेशो को तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाये।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–544/5–1–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. निदेशक भण्डार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त अनुभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
उप सचिव।